

# कार्यालय राचा नगर नगम, राचा।

राष्ट्रीय बाजार/स्टैण्ड के लिए बन्दोबस्ती की शर्तें।

1. बन्दोबस्ती की अवधि दिनांक 01.02.2020 से 31.01.2021 तक के लिये होगा।
2. संबंधित बाजार/पड़ाव आदि के सामने अंकित जगानत की राशि वैक ड्राफ्ट द्वारा नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
3. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जगानत राशि जत्क कर ली जायेगी।
4. निविदा/बन्दोबस्ती प्रक्रिया के निष्पादनोपरान्त सर्वप्रथम संबंधित राफल निविदादाता को कार्य आवंटन संबंधी L.O.A निर्गत किया जायेगा।
5. इसके पश्चात् नियमानुसार असफल निविदादाता की जगानत राशि ( वैक ड्रफ्ट मूल रूप में ) उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर लौटायी जायेगी।
6. पार्किंग/बाजार बन्दोबस्ती के मामले में डाक के निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

| क्रमांक | राशि              | निर्धारित समय  |
|---------|-------------------|--|
| (i)     | 10 लाख रु० तक     | - 100% 24 घण्टे के अंदर  |
| (ii)    | 10 लाख रु० से ऊपर | - 70% राशि 24 घण्टे के अंदर एवं शेष 30% राशि वित्तीय वर्ष के 31 जूलाई तक |

7. बन्दोबस्त राशि के विरुद्ध निर्धारित सर्विस टैक्स की अतिरिक्त राशि जमा करना होगा।
8. L.O.A निर्गत होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। यदि परिस्थिति जन्य, इसमें अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिये अधोहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किये जायेंगे।
9. एकरारनामा का निवंधन अपने खर्च पर करवाना होगा। एकरारनामा निवंधन के पश्चात ही महसूल वसूली के लिये प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. निर्धारित शर्त के उल्लंघन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिये एकरारनामा रद्द किया जा सकता है एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा- विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे आने पर एकरारनामा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. द्वितीय किस्त वसूली के लिये कोई भी नोटिस अलग से कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं भी किया जा सकता है, बल्कि शर्त में जो तिथि निर्धारित की गई है, उस तिथि का अनुपालन करना संबंधित बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।
12. महसूल (टॉल टैक्स) वसूली निगम द्वारा निर्धारित दर पर करना होगा एवं निर्धारित दर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एतद संबंधी सूचना पट्ट पड़ाव/बाजार स्थल पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों को अपने खर्च से लगाना होगा। पार्किंग दर निम्नवत होगी :-

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| चार पहिया वाहनों       | - 20/- रु० प्रति तीन घण्टा |
| दो पहिया वाहनों के लिए | - 5/- रु० प्रति तीन घण्टा  |
13. पड़ाव स्थल से दुकानों या भेण्डर से महसूल वसूली का अधिकार निगम का होगा।
14. Performance Security के रूप में 25000/- रु० रूप में जमा करना होगा।

15. पड़ाव स्थल में अवैध Vendor (यथा ठेला, खोमचा, गुमटी आदि) पाये जाने पर प्रत्येक दिन के लिए 2,000/- रु० अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा एवं यह राशि जमा की गयी Performance Security की राशि से समायोजित कर जी जायेगी। Performance Security की राशि समाप्त होने पर राशि पुनः जमा करनी होगी। अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस मद में शेष राशि संवेदक को वापस कर दी जायेगी।
16. आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/चल-अचल संपति का व्योरा/संबंधित थाना से अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का दो फोटो/जिला प्रशासन से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं सक्षम पदाधिकारी से निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग से निर्गत PAN No. संलग्न करना आवश्यक है।
17. पड़ाव स्थल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर निगम जिम्मेवार नहीं होगी। उसकी जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।
18. किसी भी निविदा को बगैर कोई कारण बताये रख करने का अधिकार अथवा Negotiation करने का अधिकार राँची नगर निगम को सुरक्षित होगा।

नोट:- मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं/निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकते हैं। यदि निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि भाग नहीं लेते हैं तो निविदा की कार्रवाई बाधत नहीं होगी।

उप नगर आयुक्त,  
राँची नगर निगम, राँची।  
